

सदाशिवम

बनाम

के. दुराईसामी

9 फरवरी, 1996

[जी.एन. राय और बी.एल. हंसारिया, न्यायमूर्तिगण]

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 - धारा 54 - बिक्री विलेख - की वैधता - इस समझ के साथ निकट संबंधी के पक्ष में अन्यसंक्रमण कि दस्तावेज पर कार्रवाई नहीं की जानी है - बिना प्रतिफल के निष्पादित बिक्री विलेख - अवैध।

परिसीमा अधिनियम, 1963 - अनुच्छेद 64, 65 - प्रतिकूल कब्जा - संयुक्त परिवार की संपत्तियां - सह-अंशधारक का अनन्य कब्जा - क्या प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा - अवधारित, नहीं, जब तक कि ऐसा कब्जा दूसरे सह-अंशधारक को बेदखल करके न किया गया हो।

अपीलकर्ता के पिता एम, ने यह घोषित करने के लिए एक वाद दायर किया कि उनके द्वारा उत्तरदाता के पक्ष में निष्पादित किया गया बिक्री विलेख एक दिखावटी दस्तावेज था और उस पर कार्रवाई नहीं की गई थी, उत्तरदाता को वाद संपत्तियों के शांतिपूर्ण उपभोग में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी व्यादेश के लिए एक अन्य वाद दायर किया गया था। उत्तरदाता ने संयुक्त संपत्तियों में आधे हिस्से की घोषणा के लिए भी एक मुकदमा दायर किया, क्योंकि अपीलकर्ता के दादाजी ने वसीयत के ज़रिए वह हिस्सा उसे दिया था। विचारण न्यायालय ने वादी एम द्वारा दायर वाद को खारिज कर दिया, परंतु उत्तरदाता द्वारा दायर वाद को इस निष्कर्ष पर डिक्री कर दिया कि संयुक्त परिवार की संपत्तियों में अपने हिस्से को अंतरित करने वसीयत एम द्वारा उत्तरदाता के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख एक दिखावटी दस्तावेज नहीं बल्कि एक वैध दस्तावेज था और उत्तरदाता के पक्ष में संयुक्त परिवार की संपत्तियों में अपने आधे हिस्से को वसीयत करने वसीयत एम के पिता द्वारा निष्पादित

वसीयत भी एक वास्तविक वसीयत थी, जिससे उत्तरदाता के पक्ष में उनके हित का अंतरण हुआ। इस निर्णय के विरुद्ध दायर अपील के दौरान, एम की मृत्यु हो गई और अपीलकर्ता को उनके विधिक प्रतिनिधि के रूप में अभिलेख पर लाया गया। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को बरकरार रखा। अतः ये अपीलें हैं।

अपीलकर्ता ने निवेदन किया कि वसीयत को वैध और वास्तविक नहीं माना जाना चाहिए था क्योंकि वसीयत की वैधता सर्वबंधी निर्णय के रूप में कार्य करती है; कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसी वसीयत वास्तव में वसीयतकर्ता द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा से निष्पादित की गई थी और यदि ऐसी परिस्थितियां हैं जो वसीयत की वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा करती हैं, तो यह वसीयतदार या वसीयत के निष्पादक का कर्तव्य है कि वह संदिग्ध परिस्थितियों का खंडन करके न्यायालय को संतुष्ट करे कि वसीयत वास्तविक रूप से निष्पादित की गई थी; कि इस मामले में वसीयत वर्ष 1979 में निष्पादित होने के बावजूद वसीयत वर्ष 1985 में सामने आई, वसीयत का अपंजीकृत होना, स्थानीय क्षेत्र का कोई साक्षी न होना और निकट संबंधियों को वंचित करना संदिग्ध परिस्थितियां थीं; कि मूल्यवान संपत्तियों के लिए प्रतिफल प्राप्त करके एम द्वारा कोई वास्तविक बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया था; कि भले ही वसीयत को वास्तविक माना जाए और यदि एम द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख को वास्तविक बिक्री विलेख माना जाए न कि एक दिखावटी दस्तावेज़, तो ऐसे बिक्री विलेख से अपीलकर्ता के हित प्रभावित नहीं हो सकते, कर्ता द्वारा विधिक आवश्यकता के लिए संयुक्त परिवार की संपत्ति के अंतरण का कोई मामला न होने के कारण, संपत्ति में सहदायिक होने होने के नाते अपीलकर्ता के हित प्रभावित नहीं हो सकते।

उत्तरदाता ने निवेदन किया कि एम के पिता द्वारा निष्पादित वसीयत और एम द्वारा उत्तरदाता के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख को मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद वास्तविक और वैध दस्तावेज़ माना गया है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के सही मूल्यांकन और ठोस कारणों पर आधारित ऐसे निष्कर्षों

में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए; कि उत्तरदाता जो एम. का एक बहुत निकट संबंधी था, एम. और उनके पिता के पैतृक घर में पला-बढ़ा था, लेनदारों के पक्ष में एम. द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख को एम. द्वारा उत्तरदाता की अभिरक्षा से हटा दिया गया था और इसलिए एम. के पास ऐसे दस्तावेज़ की अभिरक्षा के लिए उत्तरदाता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए; कि वादी ने यह दिखाने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि बिक्री विलेख प्रतिवादी द्वारा डाले गए किसी असम्यक असर के अधीन निष्पादित किया गया था और यह कि बिक्री विलेख के निष्पादन के बावजूद, यह एम ही थे जो उनके द्वारा बेची गई भूमि के स्वामी थे और उस पर काबिज थे, इसलिए, यह उचित रूप से अवधारित किया गया था कि बिक्री विलेख एक वैध दस्तावेज़ था न कि एक दिखावटी संव्यवहार।

अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने

अवधारित किया: 1.1. बिक्री विलेख अपीलकर्ता के पिता एम द्वारा दो लेनदारों के पक्ष में उनके द्वारा निष्पादित दो वचन पत्र के कारण अपने पूर्ववर्ती ऋणों को चुकाने के लिए निष्पादित किया जाना तात्पर्यित था। एम काफ़ी धनवान व्यक्ति थे और वे मूल्यवान संपत्तियों के स्वामी थे और उन पर काबिज थे। परिवार के भरण-पोषण के लिए उन्हें ऋण लेना पड़ा, यह स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। एम के पिता के, दिनांक 06.02.1979 तक जीवित थे। संयुक्त परिवार विभिन्न संपत्तियों का स्वामी था और उन पर काबिज था, जिसमें से जनवरी, 1979 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले, के ने उत्तरदाता के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित करके संयुक्त परिवार की संपत्तियों में अपने आधे हिस्से को वसीयत में दे दिया। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य यह संकेत देते थे कि के और एम के बीच अच्छे संबंध थे। उत्तरदाता का यह निश्चित मामला था कि एम की जानकारी और सहमति से के द्वारा उक्त वसीयत निष्पादित की गई थी जहाँ एम. एक हस्ताक्षरकर्ता थे। विवादित बिक्री विलेख वर्ष 1984 में निष्पादित किया गया था। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह सुझाव दे

कि वर्ष 1979 से 1984 से पहले की अवधि के दौरान एम को परिवार के भरण-पोषण के लिए विधिक आवश्यकता हेतु ऋण लेना पड़ा था। बिक्री विलेख 19,000 रुपये के प्रतिफल के लिए निष्पादित किया गया था और उक्त 19,000 रुपये की राशि में से 15,000 रुपये का भुगतान अभिकथित वचन पत्र के कारण दो लेनदारों को किया गया था। उक्त दोनों लेनदारों ने एम द्वारा संस्थित मामले में वादी के साक्षियों के रूप में गवाही दी थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से गवाही दी थी कि उन्होंने कोई ऋण नहीं दिया था जिसके लिए उनके पक्ष में वचन पत्र को निष्पादित किया जाना था। बिक्री विलेख और दोनों वचन पत्र एम द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। दो लेनदारों की ऐसी गवाही के साथ-साथ यह तथ्य कि बिक्री विलेख और वचन पत्र एम की अभिरक्षा में थे, एम के इस मामले का समर्थन करते हैं कि अपने पुत्र (याचिकाकर्ता) के प्रति असंतोष के कारण और उसे सबक सिखाने के लिए बिक्री विलेख उनके बहुत निकट संबंधी, उत्तरदाता के पक्ष में निष्पादित किया गया था, जो न केवल उनकी बहन का पुत्र था बल्कि उनकी पत्नी का भाई भी था, ऐसे बिक्री विलेख के लिए बिना किसी प्रतिफल के और इस समझ पर कि उक्त दस्तावेज़ पर कार्रवाई नहीं की जानी थी। उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता के इस मामले को स्वीकार कर लिया कि ऐसे दस्तावेज़ों को एम द्वारा इस बात का लाभ उठाते हुए अवैध रूप से हटा दिया गया था कि उत्तरदाता एम के घर में रहता था, अभिकथित लेनदारों की गवाही पर ध्यान दिए बिना। उक्त गवाही स्पष्ट रूप से एम के मामले का समर्थन करती है कि किसी भी पूर्ववर्ती ऋण को चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिसके लिए प्रतिफल प्राप्त करने पर एक वैध बिक्री विलेख निष्पादित किया जाना था। उत्तरदाता यह दिखाने के लिए कोई रसीद या विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में भी विफल रहा कि ऋणों के प्रति 15,000 रुपये चुकाने के बाद उसने वास्तव में शेष 4,000 रुपये की राशि का भुगतान एम को किया था। एम ने बिक्री विलेख के निष्पादन के कुछ ही समय बाद उसकी वैधता को चुनौती दी। सामान्यतः यदि कोई विलेख स्वेच्छा से निष्पादित किया

गया था, तो ऐसे निष्पादन के कुछ ही समय बाद उसे चुनौती दिए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है।[344-डी-एच; 345-ए-डी]

1.2. उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी पक्षकार के अनन्य कब्जे के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया था। भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि उत्तरदाता ने बिक्री विलेख के अंतर्गत आने वाले भूमियों पर कब्जा किया था, फिर भी ऐसे कब्जे को यह संकेत देकर स्पष्ट किया जा सकता है कि उत्तरदाता ने के द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर आधे हिस्से की सीमा तक हित प्राप्त किया था। इसलिए, एक सह-अंशधारक के रूप में, उससे उन भूमियों पर कब्जा करने की अपेक्षा की जाती थी जो पक्षकारों के बीच विभाजित नहीं थीं। एक सह-अंशधारक का अनन्य कब्जा दूसरे सह-अंशधारकों के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाता है जब तक कि ऐसा कब्जा दूसरे सह-अंशधारकों को बेदखल करके न किया गया हो। सह-अंशधारक को बेदखल करने और उसके बाद उत्तरदाता द्वारा खुले तौर पर और अधिकार के रूप में अनन्य कब्जे का प्रयोग करने का ऐसा कोई मामला नहीं है। इसके अतिरिक्त, बिक्री विलेख एम द्वारा सितंबर 1984 में निष्पादित किया गया था और वाद एम द्वारा वर्ष 1985 में बिक्री विलेख को दिखावटी और अवैध दस्तावेज़ घोषित करने के लिए संस्थित किया गया था। इसलिए, प्रतिकूल कब्जे द्वारा हक का प्रश्न ही नहीं उठता था।[345-ई-जी]

1.3. उत्तरदाता के पक्ष में के द्वारा निष्पादित वसीयत के कारण संयुक्त परिवार की संपत्तियों में के, के आधे हिस्से पर उसके हक के बारे में उत्तरदाता के पक्ष में डिक्री के विरुद्ध किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परंतु मामले के तथ्यों में, एम द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख को बिना किसी प्रतिफल के निष्पादित होने के कारण एक अवैध दस्तावेज़ माना जाना चाहिए, जिसे संभवतः पक्षकारों के बीच इस समझ पर निष्पादित किया गया था कि बिक्री विलेख पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।[345-एच; 346-ए-बी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1996 की दीवानी अपील संख्या 2915-16

मद्रास उच्च न्यायालय के 1988 की ए.एस. संख्या 96 और 1508 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 01.12.1994 से।

अपीलकर्ता के लिए कपिल सिब्बल, वी. कृष्णमूर्ति।

उत्तरदाता के लिए यू.आर. ललित, सी. बालसुब्रमण्यम और के. राम कुमार।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:

जी.एन. राय, न्यायमूर्ति विशेष अनुमति प्रदान की जाती है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। ये अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 1988 की ए.एस. संख्या 96, 1988 की अंतरित ए.एस. संख्या 1507 और 1988 की अंतरित ए.एस. संख्या 1508 में पारित निर्णय दिनांक 1 दिसंबर, 1994 के विरुद्ध निर्देशित हैं। अंतरित अपील संख्या 1507 वर्ष 1988 विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश, नमक्कल के न्यायालय में 1985 की ओ.एस. संख्या 187 से उत्पन्न हुई थी। अंतरित ए.एस. संख्या 1508 वर्ष 1988 उक्त न्यायालय में 1987 की ओ.एस. संख्या 168 से उत्पन्न हुई थी। ए.एस. संख्या 96 वर्ष 1988 विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश, नमक्कल के न्यायालय में 1985 की ओ.एस. संख्या 274 से उत्पन्न हुई थी। अपीलकर्ता सदाशिवम के पिता एक मरप्पा गोंडर थे। उक्त मरप्पा गोंडर ने विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश, नमक्कल के न्यायालय में एक वाद, जो 1985 की ओ.एस. संख्या 187 है, यह घोषित करने के लिए दायर किया कि उक्त मरप्पा द्वारा उत्तरदाता-दुराईसामी के पक्ष में निष्पादित किया गया बिक्री विलेख एक दिखावटी दस्तावेज था और उस पर कार्रवाई नहीं की गई थी। उक्त मरप्पा ने जिला मुंसिफ, नमक्कल के न्यायालय में एक अन्य वाद, जो 1985 की ओ.एस. संख्या 781 है, उत्तरदाता दुराईसामी को सर्वेक्षण संख्या 149/1 वसीयत वाद संपत्तियों के शांतिपूर्ण उपभोग में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए इस अभिकथन पर स्थायी व्यादेश हेतु दायर किया कि उत्तरदाता ने उक्त संपत्ति पर गैर-कानूनी रूप से अतिक्रमण करने का प्रयास किया था। विद्वान अधीनस्थ मुंसिफ

के समक्ष उक्त वाद को बाद में विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश, नमक्कल के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था और उसे ओ.एस. संख्या 168/87 के रूप में क्रमांकित किया गया था। जब दोनों वाद लंबित थे, उत्तरदाता दुराईसामी ने भी अधीनस्थ न्यायाधीश, नमक्कल के न्यायालय में एक वाद, जो ओ.एस. संख्या 274/85 है, *अन्य बातों के साथ-साथ* मरप्पा के पिता करुप्पन गौंडर द्वारा संयुक्त संपत्तियों में आधे हिस्से की घोषणा के लिए दायर किया, जिसे उक्त करुप्पन गौंडर द्वारा निष्पादित दिनांक 17 जनवरी, 1979 की वसीयत द्वारा उक्त दुराईसामी के नाम कर दिया था।

विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश, नमक्कल ने मरप्पा द्वारा दायर वादों को खारिज कर दिया, परंतु उत्तरदाता दुराईसामी द्वारा दायर वाद को *अन्य बातों के साथ-साथ* इस निष्कर्ष पर डिक्री कर दिया कि संयुक्त परिवार की संपत्तियों में अपने हिस्से को अंतरित करने के लिए मरप्पा द्वारा दुराईसामी के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख एक दिखावटी दस्तावेज नहीं बल्कि एक वैध दस्तावेज था और उत्तरदाता दुराईसामी के पक्ष में संयुक्त परिवार की संपत्तियों में अपने आधे हिस्से को वसीयत करने वसीयत करुप्पन द्वारा निष्पादित वसीयत भी एक वास्तविक वसीयत थी, जिससे दुराईसामी के पक्ष में करुप्पन के हित का अंतरण हुआ।

उक्त वादों में पारित निर्णयों से व्यथित होकर मरप्पा ने अपीलें दायर की, परंतु ऐसी अपीलों के लंबित रहने के दौरान मरप्पा की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र सदाशिवम, जो इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता हैं, को उनके विधिक प्रतिनिधि के रूप में अभिलेख पर लाया गया। 1988 की ए.एस. संख्या 96 में सदाशिवम भी एक अपीलकर्ता थे। उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 दिसंबर, 1994 के एक सामान्य निर्णय द्वारा उक्त सभी अपीलों का निपटारा किया। उच्च न्यायालय ने *अन्य बातों के साथ-साथ* यह अवधारित किया कि करुप्पन गौंडर ने संयुक्त संपत्तियों में अपने आधे हिस्से के संबंध में स्वेच्छा से वसीयत निष्पादित की थी और ऐसी वसीयत वास्तविक थी और उक्त वसीयत के आधार पर उत्तरदाता ने करुप्पन की संयुक्त परिवार की संपत्तियों में आधा हिस्सा प्राप्त कर लिया था। उच्च न्यायालय ने विचारण

न्यायालय के इस निष्कर्ष को भी बरकरार रखा कि उत्तरदाता के पक्ष में संपत्तियों में अन्य आधे हिस्से के संबंध में मरप्पा द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख एक दिखावटी दस्तावेज़ नहीं था और ऐसे बिक्री विलेख के आलोक में उत्तरदाता ने उक्त मरप्पा गौंडर की संयुक्त परिवार की संपत्तियों पर हक भी प्राप्त कर लिया था।

अपीलकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने निवेदन किया है कि वसीयत को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वैध और वास्तविक नहीं माना जाना चाहिए था क्योंकि वसीयत की वैधता सर्वबंधी निर्णय के रूप में कार्य करती है। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसी वसीयत वास्तव में वसीयतकर्ता द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा से, उसके द्वारा निष्पादित वसीयत के प्रभाव को पूरी तरह समझकर निष्पादित की गई थी और ऐसी वसीयत का निष्पादन कम से कम दो साक्षियों द्वारा उचित रूप से अनुप्रमाणित किया गया है। उन्होंने निवेदन किया है कि यदि ऐसी परिस्थितियां हैं जो वसीयत की वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा करती हैं, तो यह वसीयतदार या वसीयत के निष्पादक का कर्तव्य है कि वह संदिग्ध परिस्थितियों का खंडन करके न्यायालय को संतुष्ट करे कि वसीयत वास्तविक रूप से निष्पादित की गई थी। श्री सिब्बल ने कुछ ऐसी परिस्थितियों का संकेत दिया है जो अपीलकर्ता के अनुसार वसीयत की वास्तविकता के बारे में यथोचित रूप से संदेह पैदा करती हैं और उन्होंने तर्क दिया है कि मामले में प्रस्तुत साक्ष्य ऐसी परिस्थितियों से उत्पन्न होने वसीयत संदेह को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हालांकि, हम श्री सिब्बल के ऐसे तर्कों को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय ने ठोस कारणों का संकेत दिया है कि करुप्पन गौंडर द्वारा निष्पादित वसीयत को वास्तविक क्यों माना जाना चाहिए।

उन परिस्थितियों के संबंध में जिन्हें श्री सिब्बल द्वारा संदिग्ध बताया गया है, एक परिस्थिति, अर्थात् वसीयत वर्ष 1979 में निष्पादित होने के बावजूद वर्ष 1985 में सामने आई, वास्तव में संदिग्ध है; अन्य परिस्थितियां, जैसे कि इसका अपंजीकृत होना, स्थानीय

क्षेत्र का कोई साक्षी न होना और निकट संबंधियों को वंचित करना, वैसी नहीं हैं, क्योंकि बहुत बार वसीयत का पंजीकरण नहीं कराया जाता है और ऐसे व्यक्तियों को इसे अनुप्रमाणित करने के लिए बुलाया जाता है जिनमें वसीयतकर्ता का विश्वास होता है, भले ही वे कुछ दूरी पर रह रहे हों। निकट संबंधियों को वंचित करना वसीयत के निष्पादन का प्रयोजन होने के कारण, यह सामान्यतः कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि श्री ललित द्वारा निवेदन किया गया है, उत्तरदाता को संपत्ति वसीयत में देने का उचित कारण मौजूद था - वह यह था कि उसका करुपन द्वारा पालन-पोषण किया गया था। वर्ष 1985 में वसीयत को सार्वजनिक करने के संबंध में स्पष्टीकरण यह है कि मरप्पा के साथ संबंध तब तनावपूर्ण हो गए जब उन्होंने वाद संख्या ओ.एस. 187 वर्ष 1985 दायर किया, जिसके बाद उत्तरदाता द्वारा वसीयत के प्रमाणीकरण के लिए वाद दायर किया गया था - जो कि वाद संख्या ओ.एस. संख्या 274 वर्ष 1985 है। उपरोक्त विलंब, इन तथ्यों में, कोई संदेह पैदा नहीं कर सकता है। इसलिए, वसीयत को संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा नहीं कहा जा सकता है।

श्री सिब्बल ने यह भी निवेदन किया है कि दुर्भाग्यवश विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने यह भी पाया है कि उत्तरदाता दुराईसामी के पक्ष में मरप्पा गौंडर द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख एक वास्तविक दस्तावेज था, भले ही उच्च न्यायालय 1987 की ए.एस. संख्या 96 में व.सा. 2 चिन्नाप्पा गौंडर की गवाही और व.सा. 3 नल्लुसामी की गवाही पर विचार करने और उसका मूल्यांकन करने में विफल रहा। श्री सिब्बल ने निवेदन किया है कि उत्तरदाता के अनुसार बिक्री विलेख मरप्पा द्वारा चिन्नाप्पा गौंडर और नल्लुसामी के पक्ष में कुल 15,000 रुपये की राशि के लिए मरप्पा द्वारा निष्पादित दो वचन पत्र के कारण अपने ऋणों को चुकाने के लिए उत्तरदाता के पक्ष में निष्पादित किया गया था, परंतु उक्त चिन्नाप्पा गौंडर और नल्लुसामी दोनों ने अपनी गवाही में कहा कि मरप्पा गौंडर को चिन्नाप्पा गौंडर से 10,000 रुपये और नल्लुसामी से 5,000 रुपये प्राप्त नहीं हुए थे और उक्त मरप्पा ने उक्त चिन्नाप्पा गौंडर या नल्लुसामी के पक्ष में कोई वचन पत्र निष्पादित नहीं

किया था। ऐसा साक्ष्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वचन पत्र के अधीन ऋणों को चुकाने के लिए उक्त बिक्री विलेख को निष्पादित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और प्रतिवादी दुराईसामी का यह मामला कि उसने उक्त बिक्री विलेख के प्रतिफल के रूप में उक्त वचन पत्र के अधीन ऋणों का भुगतान किया था, इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री सिब्लल ने यह भी निवेदन किया है कि वास्तव में, बिक्री विलेख मरप्पा द्वारा वाद में प्रस्तुत किया गया था और यदि मरप्पा के पास उक्त दस्तावेज की अभिरक्षा पर चिन्नाप्पा गौंडर और नल्लुसामी की गवाही के संदर्भ में विचार किया जाए, तो यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि दुराईसामी को अंतरित की जाने वसीयत अभिकथित मूल्यवान संपत्तियों के लिए प्रतिफल प्राप्त करके मरप्पा द्वारा कोई वास्तविक बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया था। श्री सिब्लल ने निवेदन किया है कि दुर्भाग्यवश उच्च न्यायालय मरप्पा के उक्त दो अभिकथित ऋणदाताओं की गवाही के प्रभाव पर विचार करने में विफल रहा। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया यह निष्कर्ष कि मरप्पा द्वारा दुराईसामी के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख एक वास्तविक दस्तावेज था, सुसंगत सामग्रियों पर विचार करने के बाद तथ्य का एक उचित निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।

श्री सिब्लल ने निवेदन किया है कि उपरोक्त तथ्यों में, भले ही वसीयत को वास्तविक माना जाए, इस न्यायालय को अपीलकर्ता के पक्ष में मरप्पा के आधे हिस्से की सीमा तक इस अपील को स्वीकार करना चाहिए। श्री सिब्लल ने यह भी निवेदन किया है कि भले ही मरप्पा द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख को वास्तविक बिक्री विलेख माना जाए न कि एक दिखावटी दस्तावेज, तो ऐसे बिक्री विलेख से अपीलकर्ता सदाशिवम के हित प्रभावित नहीं हो सकते। ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मरप्पा ने संयुक्त परिवार के कर्ता के रूप में संयुक्त परिवार की किसी विधिक आवश्यकता के लिए मरप्पा और सदाशिवम दोनों के हितों को अंतरित किया था। कर्ता द्वारा विधिक आवश्यकता के लिए संयुक्त परिवार की संपत्ति के अंतरण का मामला न होने की स्थिति में, उक्त संपत्ति में सहदायिक सदाशिवम के हित

प्रभावित नहीं हो सकते। इसलिए, भले ही यह न्यायालय यह मानने का इच्छुक न हो कि मरप्पा द्वारा निष्पादित उक्त विलेख एक दिखावटी दस्तावेज़ था, अपीलकर्ता यह घोषणा प्राप्त करने का हकदार है कि संयुक्त संपत्ति के आधे हिस्से में उसका हित मरप्पा द्वारा उत्तरदाता के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख के माध्यम से अंतरण द्वारा प्रभावित नहीं हुआ था।

उत्तरदाता दुराईसामी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने हालांकि निवेदन किया है कि करुप्पन द्वारा निष्पादित वसीयत और मरप्पा द्वारा उत्तरदाता के पक्ष में निष्पादित बिक्री के विलेख को विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद वास्तविक और वैध दस्तावेज़ माना गया है। ठोस कारणों और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के सही मूल्यांकन पर आधारित ऐसे निष्कर्षों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि उत्तरदाता दुराईसामी मरप्पा का एक बहुत निकट संबंधी था और वह करुप्पन की पुत्री का पुत्र होने के कारण करुप्पन और मरप्पा के पैतृक घर में पला-बढ़ा था। पक्षकारों के बीच ऐसे निकट संबंधों का लाभ उठाते हुए और इस बात का भी लाभ उठाते हुए कि सुसंगत समय पर दुराईसामी मरप्पा के पारिवारिक निवास गृह में रहता था, मरप्पा द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख और लेनदारों के पक्ष में मरप्पा द्वारा निष्पादित दो वचन पत्र को मरप्पा द्वारा दुराईसामी की अभिरक्षा से हटा दिया गया था। उत्तरदाता के ऐसे मामले को उच्च न्यायालय ने कारण बताते हुए स्वीकार किया है। इसलिए मरप्पा के पास ऐसे दस्तावेजों की अभिरक्षा के लिए उत्तरदाता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मरप्पा ने यह घोषित करने के लिए दायर वाद के अपने अभिवचनों में कि उनके द्वारा दुराईसामी के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख एक दिखावटी दस्तावेज़ था, स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि जब वे अस्वस्थ थे, तो इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता, उनके पुत्र ने उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं की और वे अपने पुत्र से क्षुब्ध हो

गए और इसलिए अपने ऋणों को चुकाने के लिए बिक्री विलेख निष्पादित किया। वादी ने यह दिखाने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि विलेख दुराईसामी द्वारा डाले गए किसी असम्यक असर के अधीन निष्पादित किया गया था, यद्यपि असम्यक असर के तथ्य को स्थापित करने का भार वादी पर था जिसका उस पर प्रयोग किया जाना अभिकथन किया गया था। मरप्पा यह दिखाने के लिए विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में भी विफल रहे कि दुराईसामी के पक्ष में उक्त बिक्री विलेख के निष्पादन के बावजूद, यह मरप्पा ही थे जो उनके द्वारा बेची गई भूमि के स्वामी थे और उस पर काबिज थे। मरप्पा द्वारा दायर वाद में सफलता के लिए मरप्पा द्वारा बेची गई भूमि पर स्वामित्व और कब्जा स्थापित करना आवश्यक था। उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उपरोक्त तथ्यों में, दोनों न्यायालयों को मरप्पा के इस तर्क को खारिज करने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि यद्यपि उन्होंने दुराईसामी के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया था, परंतु ऐसी विलेख पर कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था और वह एक दिखावटी दस्तावेज था। विद्वान अधिवक्ता ने, इसलिए, निवेदन किया है कि इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अपीलों को लागत के साथ खारिज किया जाना चाहिए।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों पर अपने ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मरप्पा द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख की वैधता पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया है। बिक्री विलेख मरप्पा द्वारा चिन्नाप्पा और नल्लुसामी के पक्ष में क्रमशः 10,000 रुपये और 5,000 रुपये के लिए निष्पादित दो वचन पत्र के कारण अपने पूर्ववर्ती ऋणों को 15,000 रुपये की सीमा तक चुकाने के लिए निष्पादित किया जाना तात्पर्यित था। मरप्पा साधनों के बिना व्यक्ति नहीं थे और वे मूल्यवान संपत्तियों के स्वामी थे और उन पर काबिज थे। परिवार के भरण-पोषण के लिए उन्हें ऋण लेना पड़ा, यह स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह अभिलेख पर है कि मरप्पा के पिता करुप्पन दिनांक 06.02.1979 तक जीवित थे।

संयुक्त परिवार विभिन्न संपत्तियों का स्वामी था और उन पर काबिज था, जिसमें से जनवरी 1979 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले, करुप्पन ने दुराईसामी के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित करके संयुक्त परिवार की संपत्तियों में अपने आधे हिस्से को वसीयत कर दिया था। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि करुप्पन और मरप्पा के बीच अच्छे संबंध थे। वास्तव में, उत्तरदाता दुराईसामी का यह निश्चित मामला है कि मरप्पा की जानकारी और सहमति से करुप्पन द्वारा उक्त वसीयत निष्पादित की गई थी जहाँ मरप्पा एक हस्ताक्षरकर्ता थे। विवादित बिक्री विलेख वर्ष 1984 में निष्पादित किया गया था। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह सुझाव दे कि वर्ष 1979 से 1984 से पहले की अवधि के दौरान मरप्पा को परिवार के भरण-पोषण के लिए विधिक आवश्यकता हेतु ऋण लेना पड़ा था। बिक्री विलेख 19,000 रुपये के प्रतिफल के लिए निष्पादित किया गया था और उक्त 19,000 रुपये की राशि में से 15,000 रुपये का भुगतान अभिकथित वचन पत्र के कारण दो लेनदारों को किया गया था। उक्त दोनों लेनदारों ने मरप्पा द्वारा संस्थित मामले में वादी के साक्षियों के रूप में गवाही दी है और उन्होंने स्पष्ट रूप से गवाही दी है कि उन्होंने कोई ऋण नहीं दिया था जिसके लिए उनके पक्ष में वचन पत्र निष्पादित किए जाने थे। बिक्री विलेख और दोनों वचन पत्र मरप्पा द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। दुर्भाग्यवश उच्च न्यायालय चिन्नाप्पा और नल्लुसामी की गवाही के प्रभाव पर विचार करने में विफल रहा। हमारे विचार में, ऐसी गवाही के साथ-साथ यह तथ्य कि बिक्री विलेख और वचन पत्र मरप्पा की अभिरक्षा में थे, मरप्पा के इस मामले का समर्थन करते हैं कि अपने पुत्र सदाशिवम के प्रति मरप्पा के असंतोष के कारण और उसे सबक सिखाने के लिए बिक्री विलेख उनके बहुत निकट संबंधी दुराईसामी के पक्ष में निष्पादित किया गया था, जो न केवल उनकी बहन का पुत्र था बल्कि उनकी पत्नी का भाई भी था, ऐसे बिक्री विलेख के लिए बिना किसी प्रतिफल के और इस समझ पर कि उक्त दस्तावेज पर कार्रवाई नहीं की जानी थी। उच्च न्यायालय ने दुराईसामी के इस मामले को स्वीकार कर लिया कि ऐसे दस्तावेजों को मरप्पा द्वारा इस बात का लाभ उठाते हुए अवैध रूप

से हटा दिया गया था कि दुराईसामी मरप्पा के घर में रहता था, अभिकथित लेनदारों की गवाही पर ध्यान दिए बिना। उक्त गवाही स्पष्ट रूप से मरप्पा के मामले का समर्थन करती है कि किसी भी पूर्ववर्ती ऋण को चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिसके लिए प्रतिफल प्राप्त करने पर एक वैध बिक्री विलेख निष्पादित किया जाना था। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि दुराईसामी यह दिखाने के लिए कोई रसीद या विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में भी विफल रहा कि ऋणों के प्रति 15,000 रुपये चुकाने के बाद उसने वास्तव में शेष 4,000 रुपये की राशि का भुगतान मरप्पा को किया था। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि मरप्पा ने बिक्री विलेख के निष्पादन के कुछ ही समय बाद उसकी वैधता को चुनौती दी। सामान्यतः यदि कोई विलेख स्वेच्छा से निष्पादित किया गया था, तो ऐसे निष्पादन के कुछ ही समय बाद उसे चुनौती दिए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि बिक्री विलेख एक दिखावटी दस्तावेज़ था, जिस पर कार्रवाई करने का इरादा नहीं था, तो मरप्पा को दुराईसामी को वर्जित करके बिक्री विलेख के अधीन भूमियों पर अपना कब्जा स्थापित करना चाहिए था। हम यहाँ यह संकेत दे सकते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी पक्षकार के अनन्य कब्जे के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि दुराईसामी ने बिक्री विलेख के अंतर्गत आने वाले भूमि पर कब्जा किया था, फिर भी ऐसे कब्जे को यह संकेत देकर स्पष्ट किया जा सकता है कि दुराईसामी ने करुप्पन द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर आधे हिस्से की सीमा तक हित प्राप्त किया था। इसलिए, एक सह-अंशधारक के रूप में, उससे उन भूमियों पर कब्जा करने की अपेक्षा की जाती थी जो पक्षकारों के बीच विभाजित नहीं थीं। एक सह-अंशधारक का अनन्य कब्जा दूसरे सह-अंशधारकों के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाता है जब तक कि ऐसा कब्जा दूसरे सह-अंशधारकों को बेदखल करके न किया गया हो। सह-अंशधारक को बेदखल करने और उसके बाद दुराईसामी द्वारा खुले तौर पर और अधिकार के रूप में अनन्य कब्जे का प्रयोग करने का

ऐसा कोई मामला नहीं है। इसके अतिरिक्त, बिक्री विलेख मरप्पा द्वारा सितंबर 1984 में निष्पादित किया गया था और वाद मरप्पा द्वारा वर्ष 1985 में बिक्री विलेख को दिखावटी और अवैध दस्तावेज घोषित करने के लिए संस्थित किया गया था। इसलिए, प्रतिकूल कब्जे द्वारा हक का प्रश्न ही नहीं उठता था।

हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि उत्तरदाता के पक्ष में आधे हिस्से पर उसके हक के बारे में दुराईसामी के पक्ष में डिक्री के विरुद्ध किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, जो उक्त करुप्पन द्वारा दुराईसामी के पक्ष में निष्पादित वसीयत के कारण संयुक्त परिवार की संपत्तियों में था। परंतु मामले के तथ्यों में, मरप्पा द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख को बिना किसी प्रतिफल के निष्पादित होने के कारण एक अवैध दस्तावेज माना जाना चाहिए, जिसे संभवतः पक्षकारों के बीच इस समझ पर निष्पादित किया गया था कि बिक्री विलेख पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम, इसलिए, विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश, नमक्कल के न्यायालय के 1985 के ओ.एस. संख्या 187 और 1987 के ओ.एस. संख्या 168 से उत्पन्न 1988 की ए.एस. संख्या 1507 और 1508 में पारित निर्णयों और डिक्रियों को अपास्त करके अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं। उत्तरदाता दुराईसामी के पक्ष में मरप्पा द्वारा निष्पादित दिनांक 10.09.1984 के बिक्री विलेख को अपास्त करने के बाद संयुक्त परिवार की संपत्तियों में अपीलकर्ता के आधे हिस्से को इसके द्वारा डिक्री किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.ए.

अपीलें स्वीकार की गईं।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।